भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3604

बुधवार, 24 जुलाई, 2019/2 श्रावण, 1941 (शक)

बाल श्रम के मामले

3604. श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में दायर किए गए और निपटाए गए बाल श्रम मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के बाद से बाल श्रम की स्थिति संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) बाल श्रम की रोकथाम के लिए आगे उठाए जाने योग्य उन कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का संशोधन किया है और बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 01.09.2016 से लागू हो गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत जिला परियोजना सोसाइटियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2016 से पिछले तीन वर्षों के दौरान काम से छुड़ाए गए / हटाए गए, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत पुनर्वासित और मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्यवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग): भारत सरकार देश से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना(एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के काम से बचाए गए/छुड़ाए गए बच्चों को एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वृत्तिका, स्वास्थ्य देख-रेख, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) के साथ निकट समन्वयन के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है।

जारी---2/-

बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन तथा एनसीएलपी स्कीम का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल पेन्सिल(बाल श्रम मुक्ति हेतु प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच) 26.09.2017 से शुरू किया गया है। यह पोर्टल केंद्र सरकार को राज्य सरकारों, जिलों, सभी परियोजना सोसाइटियों तथा जन-सामान्य से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त बाल श्रम संबंधी ऑनलाइन शिकायतें पेन्सिल पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती हैं। इस प्रणाली के माध्यम से शिकायतें संबंधित नोडल अधिकारी को आगे की कार्रवाई हेतु स्वत: सौंप दी जाती हैं।

बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के बाद सरकार ने बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 बनाए हैं।

इसके अलावा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में, जो 30.08.2017 से लागू हुई है, में 38 खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं जिनमें किशोरों (14-18 वर्ष की आयु) द्वारा काम करने पर रोक है और 107 खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाएं भी निर्धारित की गई हैं जिनमें बच्चों (14 वर्ष की आयु से कम) द्वारा सहायता (परिवार में या परिवार उद्यमों में) करने पर रोक है।

* *****

अनुबंध-I

बाल श्रम के मामले पर श्री संजय सिंह, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए 24.07.2019 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3604 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान काम से छुड़ाए गए / हटाए गए, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (एनसीएलपी) के अंतर्गत पुनर्वासित और मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्यवार संख्या:

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आंध्र प्रदेश	814	203	778
2.	असम	434	915	4562
3.	बिहार	0	2800	0
4.	गुजरात	0	187	101
5.	हरियाणा	40	0	171
6.	झारखंड	334	2014	1225
7.	कर्नाटक	681	679	763
8.	मध्य प्रदेश	4442	11400	4910
9.	महाराष्ट्र	1692	5250	8122
10.	नागालैंड	0	197	111
11.	पंजाब	592	994	915
12.	राजस्थान	630	105	0
13.	तमिलनाडु	2850	2855	2534
14.	तेलंगाना	1431	2137	935
15.	उत्तर प्रदेश	3066	0	8020
16.	पश्चिम बंगाल	13973	17899	17137
	कुल	**30979**	**47635**	**50284**

*****